



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना-14

(बिहार सरकार का एक स्वायत्तशासी संस्थान)

Tel.: 0612 - 2297631, 2297099; Fax: 0612 - 2297225; Website: www.igims.org; E-Mail: director@igims.org

अवकाश यात्रा रिहायत (एल. टी. सी) के लिए आवेदन

APPLICATION FOR SEEKING OF LEAVE TRAVEL CONCESSION(L.T.C)

01.	आवेदक का नाम (स्पष्ट शब्दों में) Name of the applicant (in Capital letter)			
02.	पदनाम / Designation			
03.	विभाग / वर्तमान पोस्टिंग Department/ Place of Present Posting			
04.	अवकाश का विवरण (यदि आवेदक अपने लिए एल. टी. सी. लेना चाहता है। Details of Leave (in case of the applicant himself / herself wants to avail (LTC)	(a) अवकाश की प्रकृति / Nature of Leave		
		(b) दिनों की संख्या / No. of Days		
		(c) अवकाश की अवधि / Period of Leave		
		(d) उपसर्ग अवकाश, यदि हो तो Prefix holiday/day-off , if any		
		(e) प्रत्यय अवकाश यदि हो तो Suffix holiday/day-off , if any		
		(f) प्रस्थान की प्रस्तावित तिथि एवं समय proposed date & Time of departure		
		(g) अवकाश / एल.टी.सी. के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की प्रस्तावित तिथि। Proposed date of joining after availing of Leave /LTC		
	यदि केवल परिवार के सदस्यों के लिए एल.टी.सी. ले रहे हैं तो ले रहे हैं, तो यात्रा का माह निर्दिष्ट किया जाए / in case only family members are availing LTC , the month (s) of visit may be indicated.			
05.	अपेक्षित एल.टी.सी. (गृह नगर / भारत में किसी भी जगह) LTC required (Home Town/ Any where in India)			
06.	परिवार के सदस्यों का विवरण जिनके लिए एल.टी.सी. अपेक्षित है। Details of family members for whom LTC is required.	नाम / Name	जन्म तिथि / Date of Birth	सम्बन्ध / Relationship
07.	1) यदि उनका/उनकी पति/पत्नी सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो पति/पत्नी के निवायता से यह प्रमाण -पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न करना है कि अपेक्षित ब्लॉक वर्ष के लिए उन्होंने स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के लिए वर्तमान 04 वर्षों के ब्लॉक एवं 02 वर्षों के गृह नगर ब्लॉक का एल.टी.सी. लाभ नहीं उठाया है। if his/her spouse works in Government Office , a certificate from the employer of his /her spouse must be appended with this application to the effect that he/she along -with the family members for which LTC is requesting ,have not availed LTC for the current 4 years block and 2 years home town block			

	<p>2) यदि उनका/उनकी पति/पत्नी किसी निजी संगठन में कार्यरत है, तो आवेदक को यह स्व-प्रमाणित करना होगा कि उनके पति/पत्नी के नियोजता द्वारा एल.टी.सी. की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।</p> <p>if his/her spouse working in Private organization , the applicant is required to self -certify that his/her spouse is not getting LTC facility from his/her employee.</p>	
08.	<p>आवेदक को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उसके परिवार के अन्य सदस्य यथा माता-पिता आदि उस पर पूर्णतः आश्रित हैं और उनकी मासिक आय (वजीफा या पेंशन , पेंशन में अस्थायी वृद्धि मिलाकर लेकिन मंहगाई राहत को छोड़कर) ₹0 9000/- प्रति माह से अधिक नहीं है तथा उन्होंने अपेक्षित ब्लॉक वर्ष में हेतु पूरा में कोई एल.टी.सी. लाभ प्राप्त नहीं किया है।</p> <p>The applicant is required to certify that his /her other family members i.e. Mother & Father etc. are wholly dependent upon him/her and the total income does not exceed more than Rs. 9000/= per month including stipend of pension, temporary increase in pension but excluding Dearness Relief and they have not availed LTC for the block year so required , earlier.</p>	
09.	<p>आवेदक को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उनके पुत्र/पुत्री बेरोजगार हैं तथा अविवाहित हैं और उन पर पूर्णतः निर्भर हैं और उन्होंने ब्लॉक वर्ष हेतु पूर्व में कोई एल.टी.सी. लाभ प्राप्त नहीं किया है।</p> <p>The applicant is also required to certify that his/ her son/daughter are unemployed and un-married and wholly depend upon him/her and they have not availed LTC for the block year so requested , on earlier occasions.</p>	
10.	<p>क्या एल.टी.सी. के 10 दिनों के अर्जित अवकाश के नगदी करण की आवश्यकता है ? (हाँ या नहीं स्पष्ट करें)।</p> <p>Whether 10days Earned Leave Encashment is required along with LTC or not? (indicated yes or No).</p>	

नोट :- एल.टी.सी. नियमों के अनुसार सास-ससुर एल.टी.सी. प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

Note :- In-law are not entitled to LTC according to LTC Rules.

(आवेदक का हस्ताक्षर)
(Signature of the applicant)

सरकारी कर्मचारी द्वारा स्व-प्रमाणन हेतु प्रपत्र

Proforma for self- certification by the Government employee

1. मैं श्री/श्रीमति/सुश्री.....(सरकारी कर्मचारी का नाम)
यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं स्वयं /परिवार सदस्यों के लिए(गंतव्य का स्थान) ब्लॉक कैलेंडर वर्षका (गृह नगर/भारत में किसी भी जगह) एल.टी.सी. लाभ से के दौरान (यात्रा की अवधि) उपभोग कर रहा हूँ । यह प्रमाणित है कि मैं या परिवार के सदस्य जिनके लिए मैं एल.टी.सी. का लाभ उठाना चाहता/चाहती हूँ ने वर्तमान ब्लॉक में पहले इसका लाभ नहीं उठाया है।

I Shri/ Smt./Kr. _____ (Name of Govt. Servant) wish to confirm that I am availing _____ (Home Town / Any Place in India) LTC in respect of self/family member (s) for the Block/Calendar year _____ to visit _____ (Place of visit) during _____ to _____ (date of Journey). It is certified that I of the family member for whom I wish to avail LTC has/have not availed of the same before in the present block.

2. परिवार के उन सदस्यों का विवरण जिनके लिए अवकाश यात्रा रियायत का दावा किया जा रहा है निम्नानुसार है:-

Particulars of members of family in respect of whom the leave Travel Concession is being claimed are as under:

क्र.सं. Sl. No.	नाम Name	जन्म तिथि Date of Birth	सरकारी कर्मचारी से संबंध Relationship with Govt. Servant

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य सत्य है और कोई भी गलत कथन मुझे केन्द्रीय सिविल सेवा (एल.टी.सी.) नियम ,1988 के नियम 16, और प्रासंगिक अनुशासनात्मक नियमों के तहत उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना देगा।

It is certified that the above facts are true and any false statement shall make me liable for appropriate action under Rule 16 of CCS (LTC) Rules ,1988 and the relevant disciplinary rules.

(ओवदक का हस्ताक्षर/ Signature of the applicant)

नाम/Name :-

पदनाम/ Designation :-

विभाग/ Dept./ Place of Present Posting:-

वेतन कोड/ Salary Code:-